न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–67 / 2018–19

कपिल देव तिवारी वगैरह बनाम राज्य वगैरह

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
15/01/19	**आदेश** यह पुनरीक्षण वाद दाखिल खारिज अपील वाद सं0–22 / 2017–18 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा दिनांक–19.11.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उनके द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 166 / 2017–18 में अंचलाधिकारी, दनियांवा के द्वारा दिनांक–22.07.2017 को पारित आदेश से क्षुब्ध होकर भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0–22 / 2017–18 दायर किया गया। पुनरीक्षणकर्ता की माँ के हास्पीटल में भर्ती रहने के कारण उनके द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के न्यायालय में विधिवत पैरवी नहीं की जा सकी। अदम पैरवी के कारण भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा दिनांक–19.11.2018 को अपील वाद को बन्द कर दिया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा अदम पैरवी के कारण वाद की कार्रवाई बन्द कर दी गयी थी, तो अपीलार्थी को सम्यक कारण बताते हुए वाद को पुर्नजीवित करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी से अनुरोध किया जाना चाहिए था। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा अपील वाद के गुण–दोष पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। अतः वाद को भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी को रिमाण्ड करते हुए आदेश दिया जाता है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी उभय पक्ष को सुनकर बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधि सम्मत आदेश पारित करें। पुनरीक्षणकर्ता को आदेश दिया जाता है कि वे अपना पक्ष भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के न्यायालय में रखें। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित।** 15.1.19 (वजैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता, पटना 15.1.19 (वजैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता, पटना	